

कार्यालय आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 7(4)अकाद/आकाश/रिफ./जोधपुर/08/ 82

दिनांक: ०१ फरवरी, 2011

निदेशक,

अकादमी स्टाफ कॉलेज,
जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय,
जोधपुर।

विषय: दिनांक 14.02.11 से 05.03.2011 तक समाजशास्त्र विषय पर आयोजित रिफेशर कोर्स बाबत।

संदर्भ: आपका पत्र क्रमांक: जे.एन.वी.यू./एएससी/2010/3550 दिनांक 14.05.2010

महोदय,


उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भ में निर्देशानुसार लेख है कि आप द्वारा दिनांक 14.02.11 से 05.03.2011 तक समाजशास्त्र विषय पर आयोजित रिफेशर कोर्स में भाग लेने के लिए निम्नलिखित व्याख्याताओं को मनोनीत किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम व्याख्याता	विषय	महाविद्यालय का नाम
1	अशोक कुमार स/0नन्दराम	समाजशास्त्र	राज0 डूंगर महा�0, बीकानेर
2	हीरा लाल बैरवा	समाजशास्त्र	राज0 महा�0, सिरोही
3	जयराम बैरवा	समाजशास्त्र	राज0 महा�0, राजगढ़
4	हरीश गुजराती	समाजशास्त्र	राज0 महा�0, व्यावर
5	विमलेश गुप्ता	समाजशास्त्र	राज0 कला महा�0, अलवर
6	आंजली जयपाल	समाजशास्त्र	राज0 महा�0, व्यावर
7	संध्या जयपाल	समाजशास्त्र	राज0 महा�0, व्यावर
8	नरेश कुमार जाठिया	समाजशास्त्र	राज0 महा�0, व्यावर
9	मूलचन्द खटीक	समाजशास्त्र	राज0 महा�0, शाहपुरा(भीलवाड़ा)
10	गजेन्द्र कुमार महरिया	समाजशास्त्र	राज0 महा�0, सीकर
11	अशोक कुमार मीना	समाजशास्त्र	राज0 महा�0, गंगापुरसिटी
12	गोरीशंकर मीना	समाजशास्त्र	राज0 महा�0, डूंगरपुर
13	मानसिंह मीना	समाजशास्त्र	राज0 कन्या महा�0, भरतपुर
14	मीनाक्षी मीना	समाजशास्त्र	राज0 महा�0, राजगढ़
15	रघवीर सिंह	समाजशास्त्र	राज0 महा�0, खेतड़ी
16	चंतन लाल रेगर	समाजशास्त्र	राज0 महा�0, शाहपुरा(भीलवाड़ा)
17	श्री गोपाल	समाजशास्त्र	राज0 महा�0, राजगढ़
18	श्याम सुन्दर	समाजशास्त्र	राज0 डूंगर महा�0, बीकानेर
19	अंजना वर्मा	समाजशास्त्र	राज0 कला महा�0, अलवर

उपरोक्त मनोनीत व्याख्याताओं को आमन्त्रण पत्र अपने रूप पर भेजें तथा उक्त कोर्स में उपरिथित एवं अनुपरिथित होने वाले व्याख्याताओं की सूची आयुक्तालय को भिजवायें। जिससे कि अनुपरिथित रहने वाले व्याख्याताओं के विरुद्ध कार्यवाही की जा सके।

उक्त कोर्स में भाग लेने वाले व्याख्याताओं को यात्रा एवं दैनिक भत्ता आपके द्वारा देय होगा।

भवदीय,


 संयुक्त निदेशक,
 कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- संबंधित प्राचार्य कृपया निम्नलिखित निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करें:-
- (अ) मनोनीत व्याख्याताओं को विश्वविद्यालय से आमन्त्रण पत्र प्राप्त होने पर उक्त कोर्स में भाग लेने के लिए दिनांक 14.02.11 को प्रातः 9.00 बजे निदेशक, अकादमी स्टाफ कॉलेज, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर को उपस्थिति देने हेतु निर्देशित करें। व्याख्याताओं को चयनित वेतनमान के लिए वरिष्ठ वेतनमान के पश्चात् दो रिफेशर कोर्स करना अनिवार्य है।
- (ब) सभी प्राचार्य यह सुनिश्चित करें कि उनके महाविद्यालयों से रिफेशर कोर्स के लिए मनोनीत किये गए व्याख्याताओं में से जिनको कोर्स में भाग लेने की आवश्यकता है, उन्हें आवश्यक रूप से इस कोर्स में भाग लेने के लिए पाबन्द करें, अन्यथा पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं प्राचार्य की होगी। साथ ही ओरियेन्टेशन/रिफेशर कोर्स में भाग लेने वाले व्याख्याताओं को छात्राहित को देखते हुए अतिरिक्त कक्षाएं लेकर कोर्स पूर्ण कराने एवं अपने स्तर पर कोई वैकल्पिक व्यवस्था करने हेतु निर्देशित करें।
2. संबंधित व्याख्याता - यदि आपके द्वारा उक्त कोर्स में भाग नहीं लिया गया है तो आपके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी एवं मार्च 2012 तक आपको कोई अवरार प्रदान नहीं किया जावेगा। जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।
3. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर/जोधपुर/उदयपुर/कोटा/बीकानेर/अजमेर को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने क्षेत्र के संबंधित व्याख्याताओं के महाविद्यालयों के प्राचार्यों को सूचित करें कि उपरोक्त व्याख्याताओं का मनोनयन किया गया है जिन्हें विश्वविद्यालय से आमन्त्रण पत्र प्राप्त होने पर उक्त कोर्स के लिए कार्यमुक्त किया जावे।
5. रक्षित एवाली।

संयुक्त निदेशक,
कॉलेज शिक्षा, राज०, जयपुर